[श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक']

होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप ऐसी कोई एडवाइज़री जारी करेंगे कि इन पदों को शीघ्र भरा जाए, ताकि स्कूलों में बच्चे पढ़ सकें?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': महोदया, जहां तक वर्ष 2019-20 की बात है, तो मैं बताना चाहता हूं कि यह चालू वर्ष है। नीतियों की प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रियाधीन होती है, इसीलिए उसका आंकड़ा यहां पर उपलब्ध नहीं हुआ। जहां तक माननीय सदस्य ने यह कहा कि विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में लाखों पद रिक्त हैं, तो यह बात सही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यह विषय राज्यों का है, तो यह राज्यों के अधीन है कि वे अपने यहां अध्यापकों की नियुक्ति करें। इस दिशा में समय-समय पर केन्द्र सरकार दिशा-निर्देश जारी करती रही है। हां, उनको उस अनुपात में जो भी मदद की आवश्यकता है, जब भी वे अपने प्रदेश में नियुक्तियां करेंगे, तो निश्चित अनुपात में केन्द्र को उनको मदद के लिए जो देना है, उसमें केन्द्र कभी भी पीछे नहीं हटेगा।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): प्रश्न संख्या 275।

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हुई क्षति के लिए मुआवजा

***275. श्री जावेद अली खान**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने 1 दिसंबर को उसके पुस्तकालय में दिल्ली पुलिस द्वारा पहुंचाई गई क्षति के लिए मुआवजे हेतु सरकार को 2.66 करोड़ रुपये का आकलन भेजा है;

(ख) क्या सरकार जामिया को उक्त राशि का भुगतान करने पर सैद्धांतिक तौर पर सहमत हो गई है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'): (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) ने दिनांक 15 दिसंबर, 2019 को कैंपस में हुई हिंसा के संबंध में सम्पत्ति की क्षति की सूचना दी है। तथापि पुनर्निर्माण के पश्चात् 11 मार्च को विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय को छात्रों के लिए खोल दिया गया है। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को यूजीसी के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित किया जाता हे। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय विश्वविद्यालय सांविधिक स्वायत संगठन हैं और सभी प्रशासनिक और शैक्षणिक निर्णय सांविधिक निकायों जैसे कार्यकारी परिषद् और शैक्षणिक परिषद्

के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा लिए जाते हैं और विश्वविद्यालय भी ऐसी घटनाओं से निपटने हेतु सक्षम हैं। विश्वविद्यालय के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् को विश्वविद्यालय के राजस्व और सम्पत्ति के प्रबंधन और प्रशासन का अधिकार प्राप्त है।

Compensation for damage in Jamia Millia Islamia University

†*275. SHRI JAVED ALI KHAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Jamia Millia Islamia University has sent an assessment of ₹ 2.66 crore to Government to compensate for the damage done by the Delhi Police in its library on 1st December;

(b) whether Government has agreed inprinciple to pay the said amount to Jamia;

(c) if not, whether Government has made any alternate arrangement to compensate for the damage done; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK'): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Jamia Millia Islamia (JMI) has informed of damage to the properties during violence in the campus on 15th December, 2019. However, the central library of the University has been opened to the students on 11th March after renovation. All the Central Universities are fully funded by the Central Government through UGC. Further, the Central Universities are statutory autonomous organizations and all administrative and academic decisions are taken by the Universities with the approval of their statutory bodies such as Executive Council and Academic Council and the Universities are also competent to deal with such incidents. As per the provisions of the Act of the University, the Executive Council of the University shall have the power for management and administration of the revenue and property of the University.

श्री जावेद अली खान: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न जामिया में पुलिस द्वारा की गई तोड़-फोड़ की क्षतिपूर्ति के संबंध में है। सचिवालय ने जो प्रिंटेड प्रश्न जारी किया, उसमें 15 दिसम्बर की बजाय 1 दिसम्बर की तारीख लिख दी गई थी। मैं बड़ा डरा हुआ था

†Original notice of the question was received in Hindi.

[श्री जावेद अली खान]
कि कहीं मंत्री जी यह कहकर कि 1 दिसम्बर को कोई घटना हुई ही नहीं, इस सवाल से बचें, लेकिन मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया और 15 दिसम्बर का जवाब दिया है।

मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि लाइब्रेरी में जहां तोड़-फोड़ हुई थी, वहां पुनर्निर्माण के बाद लाइब्रेरी को खोल दिया गया है, लेकिन तथ्य यह है कि वहां लाइब्रेरी के दो ब्लॉक्स हैं- ओल्ड ब्लॉक और न्यू ब्लॉक। ओल्ड ब्लॉक को तोड़ा-फोड़ा गया था, जो आज भी बन्द है। मंत्री जी, आपके अधिकारियों ने आपको गलत सूचित किया है, इसलिए कृपया आप इसका संज्ञान लें। महोदया, मेरा सवाल यह है कि जामिया प्रशासन ने क्षतिपूर्ति के लिए आपको आकलन भेजा और मांग की कि यह क्षतिपूर्ति की जाए। आप कहते हैं कि संपूर्ण खर्चा यूजीसी के माध्यम से सरकार उठाती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस 2.66 करोड़ ₹ को आपका मंत्रालय या यूजीसी देगा या उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दंगाइयों को चिन्हित करने के बाद जो हर्जाना और मुआवज़ा वसूला जा रहा है, क्या आप दिल्ली पुलिस से 2.66 करोड़ रुपये वसूलने के लिए कोई कार्यवाही करेंगे?

†

جناب جاوید علی خان: ماننیہ اُپ سبھادھیکش جی، میرا سوال جامعہ میں پولیس کے ذریعے کی گئی توڑ پھوڑ کے معاوضہ سے متعلق ہے۔ سچیوالے نے جو پرنٹیڈ سوال جاری کیا اس میں 15 دسمبر کے بجائے 1 دسمبر کی تاریخ لکھ دی گئی تھی۔ میں بڑا ڈرا ہوا تھا کہ کہیں منتری جی یہ کہہ کر کہ 1 دسمبر کو کوئی گھٹنا ہوئی ہی نہیں، اس سوال سے بچیں، لیکن میں ان کا دھنیواد کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کا سنگیان لیا اور 15 دسمبر کا جواب دیا ہے۔

منتری جی نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ لائبریری میں جہاں توڑ پھوڑ ہوئی تھی، وہاں پُن نرمان کے بعد لائبریری کو کھول دیا گیا ہے، لیکن تتھیہ یہ ہے کہ وہاں لائبریری کے دو بلاکس ہیں، اولڈ بلاک اور نیو بلاک۔ اولڈ بلاک کو توڑا پھوڑا گیا تھا، جو آج بھی بند ہے۔ منتری جی، آپ کے ادھیکاریوں نے آپ کو غلط اطلاع دی ہے، اس لئے کرپیا آپ اس کا سنگیان لیں۔

مہودیہ، میرا سوال یہ ہے کہ جامعہ پرشاسن نے شتی پورتی کے لئے آپ کو آکلن بھیجا اور مانگ کی کہ شتی پورتی کی جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ سمپورن خرچہ یو جی سی کے مادھیم سے سرکار اٹھاتی ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس 2.66 کروڑ روپے کو آپ کا منترالیہ یا یو جی سی دے گا یا اترپردیش کی طرز پر دنگائیوں کو چنہت کرنے کے بعد جو ہرجانہ اور معاضہ وصولا جارہا ہے، کیا آپ دہلی پولیس سے 2.66 کروڑ روپے وصولنے کے لئے کوئی کارروائی کریں گے؟

†Transliteration in Urdu script.

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': महोदया, यह बात सही है कि एक दिसम्बर छपा था, जबकि एक दिसम्बर को कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन माननीय सदस्य का मंतव्य समझते हुए कि शायद वे 15 दिसम्बर की घटना के ही बारे में पूछ रहे होंगे।

महोदया, जो सूचना जामिया मिलिया विश्वविद्यालय ने उपलब्ध कराई है, उसी के आधार पर मैं उत्तर दे रहा हूं। जामिया ने कहा है कि जो तोड़-फोड़ हुई थी, उसकी मरम्मत करा दी गई है और वह पुस्तकालय खोल दिया गया है। जहां तक माननीय सदस्य का कहना है कि जो क्षति हुई है, उसकी आपूर्ति कैसे होगी, यह सूचना जामिया ने दी थी कि कितनी क्षति हुई है, यह सूचना मंत्रालय को भी मिली है। जैसा कि मैंने कहा कि यूजीसी के माध्यम से हम पूरी धनराशि विश्वविद्यालय को देते हैं और जहां वर्ष 2017-18 में 333 करोड़ रुपये हम उसे देते थे, वर्ष 2018-19 में 362 करोड़ रुपये से भी अधिक स्वीकृति है। जब-जब भी ऐसी परिस्थिति होती है...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश: सवाल सीधा है।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': महोदया, क्योंकि विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संगठन है। विश्वविद्यालय को हर दृष्टि से निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। इसलिए यदि उसको लगता है कि उसको राशि की आवश्यकता है तो स्वाभाविक ही है कि यूजीसी के माध्यम से उसकी आपूर्ति होगी।

श्री जावेद अली खान: विश्वविद्यालय सक्षम है, इतना हम भी जानते हैं, लेकिन वह दिल्ली पुलिस से नहीं वसूल सकता, उससे आप ही वसूलेंगे। कृपया करके उनसे वसूल कर विश्वविद्यालय को दीजिए।

महोदया, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इस पूरी घटना पर प्रशासन ने, वहां के वाइस-चांसलर और रजिस्ट्रार ने आपसे एक हाई पावर्ड ज्युडिशियल इन्क्वायरी करने की मांग की थी, क्या आपने अभी तक कोई इन्क्वायरी सेटअप की है या कोई इरादा है या आपने इरादा तर्क कर दिया है?

†**جناب جاوید علی خان:** وشودالیہ سکشم ہے، اتنا ہم بھی جانتے ہیں، لیکن وہ دہلی پولیس سے نہیں وصول سکتا، اس سے آپ ہی وصولیں گے۔ کرپیہ کرکے ان سے وصول کر وشودالیہ کو دیجئے۔

مہودیہ، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس پوری گھٹنا پر پرشاسن نے، وہاں کے وائس چانسلر اور رجسٹرار نے آپ سے ایک ہائی پاورڈ جیڈیشیل انکوائری کرنے کی مانگ کی تھی، کیا آپ نے ابھی تک کوئی انکوائری سیٹ آپ کی ہے یا کوئی ارادہ ہے یا آپ نے ارادہ ترک کردیا ہے؟

---

†Transliteration in Urdu script.

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': महोदया, क्योंकि कोर्ट में इसका प्रकरण चल रहा है और स्वाभाविक ही यह कोर्ट में है और जांच में है। जब कोर्ट में कोई प्रकारण चल रहा हो तो उसमें इस तरीके का कोई प्रावधन का विषय नहीं है।

श्रीमती कान्ता कर्दम: महोदया, मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दलितों के लिए आरक्षण की सुविधा नहीं है।...**(व्यवधान)**...

श्री जावेद अली खान: मैडम, आप संविधान का आर्टिकल 29 पढ़ लीजिए।

†**جناب جاوید علی خان:** مےڈم، آپ سمودھان کا آرٹیکل 29 پڑھ لیجئے۔

श्रीमती कान्ता कर्दम: आप भी पढ़ लीजिए। उन्हें क्यों आरक्षण नहीं मिल सकता है, क्या उनका मन उसमें पढ़ने के लिए नहीं है?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): आप अपना सवाल कीजिए।

श्रीमती कान्ता कर्दम: क्या उनका मन उसमें पढ़ने के लिए नहीं हो सकता है? अगर वे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या जामिया यूनिवर्सिटी में दलित समाज के छात्र पढ़ना चाहते हैं तो क्या उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए? मेरा मंत्री जी से आग्रह है और मैं पूछना चाहती हूं कि यह क्यों नहीं है?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': महोदया, यह सवाल अलग है, लेकिन उसकी सूचना मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा।

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA: As HRD Minister, you are the protector of students in universities across the country. Here, in Jamia, we saw that the students were attacked; we saw that the institution's properties were attacked. There is evidence out there which shows policemen damaging the CCTV to cover up the evidence. What action have you taken against these police personnel against whom evidence is in the public domain for having vandalized Jamia property, which affected the lives and studies of the students?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': महोदया, मैंने पहले ही कहा है कि यह जांच का विषय है और अभी कोर्ट में है। लेकिन, सामने जो वीडियोज़ आए हैं, वे कई सवाल खड़े करते हैं, इसलिए मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वे सब जांच के विषय हैं और कोर्ट के विषय हैं।

डा. अशोक बाजपेयी: उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों में, विश्वविद्यालयों में जिस तरह

†Transliteration in Urdu script.

से हिंसा हुई, सार्वजनिक संपत्ति को जलाया गया, विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, क्या ऐसे अराजक तत्वों से, जिन्होंने इस तरह की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था ऐसे छात्रों से इसका हर्जाना वसूली की कोई योजना है? यदि ऐसी कोई योजना है, तो क्या ऐसे लोगों से ...**(व्यवधान)**... अभी हर्जाना वसूला गया है या नहीं...**(व्यवधान)**... और भविष्य में क्या ऐसे अराजक तत्व से...**(व्यवधान)**... यह धनराशि वसूली जाएगी?...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): कृपया शांति बनाएं रखें।...**(व्यवधान)**... कृपया शांति बनाए रखें।...**(व्यवधान)**...

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, यह सारा घटनाक्रम हुआ है और जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे तथ्य, प्रमाण भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं, इसलिए अभी यह कहना कि कौन उसके लिए चिन्हित है, उसके लिए जो भी चिन्हित होंगे, वे जांच में आ जाएंगे। हमारे गृह मंत्री जी ने पहले भी कहा कि जो दोषी होगा, उसको किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): प्रश्न संख्या 276. प्रश्नकर्ता उपस्थित नहीं हैं। श्री सैयद नासिर हुसैन जी।

*276. *[The questioner was absent]*

Removal of Deprivation Points in JNU

*276. SHRI DIGVIJAYA SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Deprivation Points in JNU for M.Phil./Ph.D., M.Tech. admissions have been removed;

(b) whether based on regional/gender deprivation, points were awarded to aspirants in JNU which ensured significant representation from income groups lower than that specified by EWS reservation;

(c) whether withdrawal of Deprivation Points in 2017-18 admissions to research degrees meant that students from households having less than ₹ 6000 p.m. dropped from 25.7 per cent to 9.8 per cent and those from rural background reduced from 48.4 per cent to 28.2 per cent from 2016-17 to 2017-18 in research programmes; and

(d) whether the system was discarded on the recommendation of the Ministry?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK'): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.